30/1/23 पत्रावली पेश हुई बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा काला में स्थित होकर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी सं. 1 की आयु वर्तमान में 24 वर्ष है प्रार्थी सं. 2 एक महिला है। प्रार्थी सं. 1 पूर्व में नाबालिग था। कुछ वर्षों पूर्व ही बालिग हुआ है। वादग्रस्त आराजीयात एक पक्ष नहीं होकर अलग-अलग जगह स्थित है। विपक्षीगण के प्रार्थीगण को नाजायज रूप से अवैध नुकसान कारित करने की इच्छा से वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:48:14 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

किस्म मुकद्दमा ____ नं. ____ सन् ____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजीयात पर अवैध व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा छोड़ने को कहा तो विपक्षीगण लड़ाई झगड़े करते है व कब्जा छोड़ने हेतु मना कर दिया है। वादग्रस्त आराजीयात के नक्शे में कोई तरमीम नहीं होने से प्रार्थीगण व विपक्षी नं 9 की आराजी शामिलशुद होने व संयुक्त रूप से एक चक में स्थित होने से मौके पर समुचित सीमांकन के अभाव में विपक्षी सं. 9 लेखराज की आराजी भी वादग्रस्त होने से संपूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण निर्माण कार्य करने पर आमादा है। विपक्षी क्रमांक 7 ने व विपक्षी सं. 3 से 8 ने अलग-अलग जगह [illegible] वादग्रस्त आराजी [illegible] कर रखा है [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के आदेशार्थी की बाधारहित
आराजीयात पर अतिक्रमण करने
का कोई विधिक हक व अधिकार
नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया
केस प्रमाणित है। सुविधा का
संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का
सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में
निहित होने से विपक्षीगण को
अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के
निस्तारण तक पाबंद फरमाया जावे
कि प्रकरणगत आराजीयात पर
किसी प्रकार का निर्माण कार्य
न करे न करावे।
विपक्षी अधिवक्ता ने अपने बहस
में निवेदन किया कि विपक्षी सं.
1 व 2 के विरुद्ध पूर्व में जारी
अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 15.3.16
के अनुसार विपक्षी सं. 1 व 2 की
हद तक प्रा. पत्र खारिज करने हेतु
स्वीकार किया गया। एवं Adv.
V. S. राठौड़ ने अपनी बहस में
निवेदन किया कि प्रार्थीगण
द्वारा जो प्रा. पत्र में कथन किये हैं
व मनगढंत है। प्रार्थी सं. 1 का
बयानक झूठे [illegible]
झूठा है। [illegible] कौन
होकर अपना [illegible]
की पत्नी होने से [illegible] विधवा हो
से कोई [illegible] वैधानिक रूप
विशेष स्टेंड नहीं रखती
है इस आधार पर कोई अतिरिक्त
वैधानिक हक प्राप्त नहीं कर सकती

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:48:14 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजीयात में से 120 आराजी
नं. खेरवाड़ा से के द्वारा दिनांक
16.1.1990 सेठ डी द्वारा भूखण्ड
खरीदा है। प्रमाण स्वरूप विक्रय
विलेख की प्रति प्रा.पत्र में
संलग्न है। प्रार्थीगण व विपक्षी नं.
1 आपस में पति-पत्नि व
पुत्र है। पंजीकृत विक्रय विलेख
के जरिये क्रय किये गये भूखण्ड
पर कब्जा करना चाहते है।
प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से प्रा.पत्र
न्यायालय के समक्ष नहीं आये है।
इसलिए प्रार्थीगण कोई अनुतोष
प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया
प्रमाणित नहीं है। सुविधा
का संतुलन व अपूरणीय क्षति
का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के
पक्ष में नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी
धारक अपने क्रय शुदा आराजी
का वैधानिक रूप से स्वामी है।
अपनी जायज व जरूरतों के
अनुसार उपभोग - उपयोग हेतु
निर्माण कार्य करवाया है इसलिए
प्रार्थीगण का प्रा.पत्र निरस्त
फरमाया जावे [illegible] स्थगन
प्रा. पत्र [illegible] फरमाया
जावे कि [illegible] की
ओर से [illegible] के
के अनुसार स्वामी व आधिपत्य
के भूखण्ड के उपभोग उपयोग
में किसी प्रकार कि दखलंदाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested

में जारी हुए

तारीख हुक्म

न करें व करावें व निर्माण कार्य करने से नहीं रोके।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व प्रा. पत्र जवाब का अवलोकन किया जिससे इस स्तर निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि वादग्रस्त आराजियात खातेदारों के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रस्तुत वाद धारा 188, 183, 209 रा.का. के तहत पेश किया गया है जो विचाराधीन होकर साक्ष्यवादी में नियत है जिसके निर्णय से सारे तथ्य स्वतः ही स्पष्ट हो जावेंगे। तब तक अनावश्यक रूप से विवाद नहीं बढ़े इसलिए विपक्षी सं. 3 से 9 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उपयुक्त है काउन्टर केवेट साबित करने के अभाव में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा [illegible] की ख.नं. 120/2/2, 368/2क, 371/3, 120/2/1, 368/2, 371/2, 120/2/1क, 368/1, 371/1 से संबंधित भूमि में विपक्षी सं. 3 लगायत 9 को पाबंद किया [illegible] कि वे वादग्रस्त आराजी [illegible] निस्तारण [illegible] के निर्माण कार्य [illegible] का [illegible] करावें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली पेशकार खुलासा होकर [illegible] के [illegible] दो [illegible] वाद हेतु साक्ष्य संशोधन हो।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:48:14 IST
Reason: SelfAttested